

रिपोर्ट पटवारी लालपुरा तहसील कुरावड़ जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम सांवरिया खेड़ा  
की खाता संख्या 73 मे प्रार्थना का नाम पुरी w/o माता जाति-मेघनाल दर्ज है,  
जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतावेजो मे सही नाम पुरी w/o माता दर्ज है। खाते  
मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपग्रह है। अतः ग्राम सांवरिया खेड़ा की खाता  
संख्या 73 मे दर्ज नाम पुरी w/o माता के बजाय सही इन्द्राज पुरी w/o माता  
जाति-मेघनाल दर्ज किया जाना उचित है।

मू अभिलेख निरीक्षक कुरावड़

09/10/25  
पटवारी पटवारी  
पटवार लालपुरा  
तहसील कुरावड़

कार्यालय तहसीलदार कुरावड़ जिला उदयपुर

मू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांवरिया  
खेड़ा की जमाबन्दी की खाता संख्या 73 मे दर्ज नाम पुरी w/o माता  
के बजाय सही नाम पुरी w/o माता दर्ज किया जाना  
उचित है।

कुरावड़  
तहसीलदार कुरावड़  
जिला उदयपुर (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा जिला उदयपुर

दिनांक 31/12/25

क्रमांक/ 402

आदेशः

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुरावड़ की रिपोर्ट एवं सलग्न  
दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ....

सांवरिया खेड़ा की जमाबन्दी की खाता संख्या 73 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...  
पुरी पाति माता के बजाय सही नाम/इन्द्राज पुरी पाति माता

दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुरावड़ आदेशानुसार  
राजस्व रिकार्ड मे अगल दरागद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
गिरवा, उदयपुर